न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट चौमूँ

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती देवयानी (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–13/2018

उनवान

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व. सुवालाल
2. ओमप्रकाश पुत्र स्व. सुवालाल

समस्त जाति बुनकर, निवासी ग्राम ईटावाभोपजी, तहसील चौमूं जिला जयपुर।

3. मुन्नी देवी पुत्री स्व. सुवालाल पत्नी भोलूराम, जाति बुनकर, हाल निवासी ठीकरिया, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।

–प्रार्थीगण/वादीगण

बनाम

1. सन्तु पुत्र मुरली जाति बुनकर, निवासी ग्राम ईटावाभोपजी, तहसील चौमूं जिला जयपुर।
2. उपपंजीयक, उपपंजीयन कार्यालय, चौमूँ, जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये भूधारक तहसीलदार महोदय, तहसील चौमू, जिला जयपुर।

–अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण

(वाद बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा)

बाजदायरी प्रार्थना पत्र

अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0

आदेश

दिनांक:–17.06.2019

प्रार्थीगण/वादीगण की ओर से बाजदायरी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 का इस आशय का पेश किया गया है कि उपरोक्त प्रार्थीगण/वादीगण अनपढ़ गरीब ग्रामीण परिवेश का काश्तकार पेशा व्यक्ति है, जो कृषि कार्य कर अपना व अपने परिवार का पालन–पोषण करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा उनवानी वाद लक्ष्मीनारायण वगै0 बनाम सन्तु वगै0 मुकदमा नम्बर 90/09 मान्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। प्रार्थीगण/वादीगण ग्रामीण परिवेश के भोले भाले व्यक्ति है जिनको वाद प्रस्तुती के समय प्रार्थीगण/वादीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थीगण को यह भी आश्वासन दिया गया था कि आवश्कता पडने पर आपको सूचित करता रहूंगा। दिनांक 26.07.2011 को प्रार्थीगण/वादीगण के अधिवक्ता मान्य न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुये जिस कारण वादीगण का वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में उक्त दिनांक को मान्य न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया।

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थीगण को उक्त दिनांक को मान्य न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने हेतु कोई नोटिस या सूचना नहीं दी गयी अन्यथा प्रार्थीगण मान्य न्यायालय के समक्ष अवश्य ही स्वयं उपस्थित होकर प्रकरण की आगे की कार्यवाही में भाग लेते। इस प्रकार प्रार्थीगण/वादीगण की मान्य न्यायालय के समक्ष उक्त दिनांक को अनुपस्थिति उक्त कारणवश हुयी है न की ईरादतन है। प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा अपने प्रकरण की जानकारी करने हेतु अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया गया जिस पर अधिवक्ता द्वारा प्रार्थीगण/वादीगण को उक्त प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज होने की जानकारी दी गई जिस पर प्रार्थीगण/वादीगण दिनांक 13.06.2018 को प्रकरण की नकल हेतु आवेदन किया गया जिस पर प्रार्थीगण/वादीगण को उक्त प्रकरण की नकल दिनांक 14.06.2018 को प्राप्त होने पर प्रार्थीगण/वादीगण को उक्त प्रकरण खारिज किये जाने की जानकारी मिली है इससे पूर्व प्रार्थीगण/वादीगण को उक्त प्रकरण खारिज किये जाने की कोई जानकरी कतई भी नहीं रही है। उक्त प्रकरण को खारिज किये जाने की दिनांक 26.07.2011 से प्रार्थीगण/वादीगण को जानकारी होने की दिनांक 14.06.2018 तक को डिले कन्डोन फरमाया जाना आवश्यक है। जिस हेतु प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत किया जा रहा है। उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण/वादीगण के बहुमूल्य साम्पतिक अधिकार अन्तर्निहित है। यदि वादीगण का वाद पुनः नम्बर पर नहीं लिया गया तो प्रार्थीगण/वादीगण न्याय से ही महरूम हो जावेगा तथा उसके साम्पतिक अधिकार खतरे में पड जावेंगे। फलस्वरूप प्रार्थीगण को ऐसी अपूर्तनीय क्षति कारित होगी जिसकी पूर्ति भविष्य में किया जाना कतई संभव नहीं होगा। प्रार्थीगण/वादीगण ने वाद को पुनः नम्बर पर लिये जाने निवेदन किया है।

अप्राथी/प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया गया है कि प्रार्थना पत्र कतई गलत एवं मिथ्या आधारों पर प्रस्तुत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मियाद बाहर प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई युक्तियुक्त सही कारण अपने प्रार्थना पत्र में नहीं लिखा गया है। उक्त प्रकरण खारिज होने की जानकारी सदैव से ही प्रार्थीगण/वादीगण को रही है जबकि प्रार्थना पत्र करीब सात वर्ष बाद बिना किसी युक्तियुक्त कारण के प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रकरण स्वयं प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया था जिसकी प्रस्तुती के उपरान्त से ही प्रार्थीगण/वादीगण को प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज करने की जानकारी रही है। जिस कारण भी प्रार्थीगण/वादीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। बहस में प्रार्थीगण/प्रतिवादी ने अपने प्रार्थना पत्र व जवाब में अंकित तथ्यों को ही मुख्य रूप से दोहराया।

सहायक कलक्टर
झुंझुनूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

हमने पत्रावली का अवलोकन व उभयपक्षों की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का वाद घोषणा का वाद है जिसमें प्रार्थी के साम्पतिक अधिकारों की घोषणा होनी है। चूंकि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 सीपीसी का काफी देरी से पेश किया है। प्रकरण में देरी को कण्डोन करने के लिए प्रार्थी ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश किया है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी के द्वारा की गई देरी को कण्डोन किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र हर्जाने पर स्वीकार किया जाना न्यायाहित में उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 सीपीसी का न्यायाहित में 1000/–अक्षरे एक हजार रूपयें की कोस्ट पर स्वीकार किया जाता है एवं वाद को पुनः नम्बर पर लिये जाने के इजाजत दी जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा मूल वाद के साथ रहें।

आदेश आज दिनांक 17.06.2019 को खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
चौमूँ

सहायक कलेक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Devyani
Date: 2019.11.07 15:33:11 IST
Reason: SelfAttested
Location: